तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमबाबू बनाम मुरारी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/5/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पूर्वानुसार दिनांक 10/6/25 को पेश हो।	
10/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अधि. उभयपक्ष उप. पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04/07/2025 को पेश हो।	
4/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 18/8/25 को पेश हो।	
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/8/25 को पेश हो।	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० अधि० प्रति० ने बहस से इन्कार किया। अधि० प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्राव वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर घोषित किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 164/2024

1. ओमबाबू पुत्र दरबसिंह जाति कंजर निवासी विलानचट्टपुरा तहसील रूपवास हाल उच्चैन जिला भरतपुर हाल नि0 म0नं0 6—सी शिव विहार बी—ब्लांक विकास नगर नई दिल्ली— 59।

.....प्रार्थी

बनाम

1. मुरारी पुत्र देवीसिंह नि0 विलानचट्टपुरा हाल नि0 आर—2184 मोहन गार्डन थाना उत्तम नगर नई दिल्ली।
2. सुनहरी
3. शिवलाल
4. चमकलाल
5. विट्टो
6. नवलकिशोर
7. बब्बन पुत्रान देवीसिंह समस्त जातियान कंजर निवासी विलानचट्टपुरा तह0 उच्चैन।
8. कैलाशपति पत्नि विरजो
9. फूलबती पत्नि बच्चीसिंह पुत्रीयान देवीसिंह जाति कंजर नि0 मुगल बसई ताजगंज आगरा।
10. गुड्डीदेवी पत्नि उमेश जाति कंजर नि0 म0नं0 4 एल—2 थाना उत्तम नगर राजन विहार, मोहन गार्डन नई दिल्ली।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—29.08.2025**

प्रार्थी/प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 170/101/ 5.09, 261/112/4.08, 425/112/0.10, 457/83/1.10, 459/93/5.13, 493/114/0.16, 496/115/2.12, 499/115/1.00 कुल किता खसरा नम्बर 8 रकवा 21

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

बीघा 18 विस्वा(मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2071–2074) बाके ग्राम विलानचट्टपुरा तहसील रूपवास हाल उच्चैन में स्थित है जिसके 1/2 हिस्से के प्रार्थी व तरतवी प्रतीवादीगण के पिता व पति दरबसिंह तथा 1/2 हिस्से के अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 10 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी थे अब प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता व पति दरबसिंह का स्वर्गवास हो गया है इसलिए प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण वहिस्सा बराबर दरबसिंह के स्थान पर अपने नाम की घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त आराजी का प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य अभी तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है उक्त पक्षकार मनवट के आधार पर अपने–अपने हिस्से के मुताबिक आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से को बिना विभाजन कराये बेचान करने पर उतारू है उन्होंने ने दिनांक 10.07.2015 प्रार्थी को एलानियां धमकी दी एवं विवादित आराजी को दीगर लोगो को विक्रय कर देंगे एवं तुम्हारी आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे एवं विवादित आराजी को मनबट के आधार पर उपयोग–उपभोग नहीं करने देंगे। अप्रार्थीगण को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थीगण के द्वारा कई अबसर दिये जाने के पश्चात भी जाबाव पेश नहीं किया गया अतः दिनांक 13.11.2024 को अप्रार्थीगण का जबाव बंद किया गया। दिनांक 26.08.2025 को अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा बहस हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा बहस से इन्कार किया गया।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता व पति एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 10 की सहखातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी को अप्रार्थीगण बिना विभाजन कराये बेचान करना चाहते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के पिता दरबसिंह एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 10 की सहखातेदारी की आराजी है। चुंकि प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है उक्त आराजी के आधे हिस्से पर प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण एवं आधे हिस्से पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 10 के हम निहित है। चुंकि उक्त आराजी का अभी तक कानूनी विभाजन नही हुआ है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा ना ही जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ना ही अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में बहस की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 170/101/ 5.09, 261/112/4.08, 425/112/0.10, 457/83/1.10, 459/93/5.13, 493/114/0.16, 496/115/2.12, 499/115/1.00 कुल किता खसरा नम्बर 8 रकवा 21 बीघा 18 विस्वा(मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2071–2074) बाके ग्राम विलानचट्टपुरा तहसील रूपवास हाल उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर